

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 1978/फाल्गुन 19, 1899
No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 1978/PHALGUNA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1978

क्र. आ. 172(अ).—निर्वाचन आयोग, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देता है कि भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3(2) तारीख 8 मार्च, 1978 के असाधारण अंक में प्रकाशित

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 318/78(1), तारीख 8 मार्च, 1978 में खण्ड (इ) से संलग्न अनुसूची में हरियाणा राज्य से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

“5. हरियाणा 3 अप्रैल, 1978”

[सं. 318/78(1)]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 1978

S.O. 172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission hereby directs that in the Schedule appended to clause (e) in the Commission's notification No. 318/78(1) dated the 8th March, 1978, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 8th March, 1978, for the existing entries relating to the State of Haryana, the following entries shall be substituted :—

“5. Haryana 3rd April, 1978”.

[No. 318/78(1)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.